ऑन लाईन नं. RCMS1997/00006

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0
प्रकरण सं0 81/1997
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र महताब सिंह जाति रायसिंख साकिन कोठा हाल ढाणी खेत खुद शर्कज नहर कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। शिकायतकर्ता

बनाम

1. भागराम पुत्र श्री नारायण जाति अरोड़ा निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)
2. रमेश सिंह पुत्र श्री जम्मू सिंह निवासी कोयलखेड़ा तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब) अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री सुरेश कुमार ढुंढाडा , अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री ईशर सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सज्जन सिंह , अधिवक्ता खरीददार (अप्रार्थी)

:: आदेश :: दिनांक : 06.05.2026

प्रस्तुत शिकायत का सार है :–

1. यह कि गैरसायल ने सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर से बजरिये आदेश 24.11.1978 चक शर्कज नहर कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खसरा नम्बर 10 के 2 बीघा 12 बिस्वा बारानी रकबा अलाट करवाया हुआ है जबकि वह इस रकबा को निम्नलिखित आधारों पर अलाट करवाने का हकदार नहीं है, उसने असल तथ्यों को व अपनी जमीन को छुपाकर अदालत को धोखा देकर रकबा अलाट करवाया है :–
(क) यह कि गैरसायल का इस रकबा पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। यह रकबा सायल के कब्जा काश्त में है । अतः गैरसायल रकबा अलाट करवाने का हकदार नहीं है।
(ख) यह कि गैरसायल के पास पहले सही शर्कज नहर खंखा के खाता नम्बर 2 के 8 बीघा व शर्कज नहर कोठा के खसरा नम्बर 11 में 4 बीघा 9 बिस्वा व 5 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खसरा नम्बर 10 में 18 बीघा 7 बिस्वा नहरी रकबा अलाट शुदा है। इस प्रकार से उसके पास पहले से करीब 31 बीघा रकबा है । अतः 25 बीघा से अधिक रकबा होने से वह उक्त 2 बीघा 12 बिस्वा रकबा को किसी भी प्रकार से अलाट करवाने का हकदार नहीं था।
2. यह कि उपरोक्त हालात में गैरसायल का उक्त रकबा का आवंटन खारिज किया जाना व रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जाना जरूरी है।

लिहाजा दरखास्त पेश करके अर्ज है कि गैरसायल के उक्त आवंटन रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा को खारिज किया जावें व रकबा बहक सरकार रिज्यूम किया जावें ताकि सही व्यक्ति को आवंटन हो सकें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये एवं रिकॉर्ड व रिपोर्ट तलब की गई।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच कर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1714 दिनांक 01.08.1984 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की है:–

1. भागराम पुत्र नारायणदास को सहायक जिलाधीश एवं दंडनायक के आदेश कमांक 152 दिनांक 28.11.1978 द्वारा शर्कज नहर कोठा का खसरा नम्बर 10 का 2.12 बीघा बारानी रकबा अलाट हुआ है।
2. यह आवंटन सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक महोदय श्रीगंगानगर द्वारा हुआ है।
3. आवंटन के समय इस रकबे की किस्म बारानी थी।
4. आवंटन के समय भागराम के पास निम्नप्रकार भूमि थी
   1.चक 1 ए बड़ा की 3.00 बीघा बारानी
   2.चक 2 ए बड़ा की 2 बीघा 15 बिस्वा नहरी जो वह बेच चुका है।
   3.शर्कज नहर कोठा –
   4.शर्कज नहर खंखा –8 बीघा बारानी
5. वर्तमान समय में भागराम ब हैसियत अलाटी काबिज है।
6. राजस्थान का मूल निवासी है।
7. इस भूमि के आवंटन से पूर्व अप्रार्थी का पेशा खेती था।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है। उपरोक्त रिपोर्ट जांच पटवारी हल्का बिन्दु संख्या 3 से 7 तक की गई है।

पत्रावली पर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक 1665 दिनांक 13.05.1994 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की है:–

चक शर्कज नहर कोठा का खसरा नम्बर 10 की 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर वर्तमान में रमेश सिंह वल्द जम्मू सिंह जाति कम्बोजसिख साकिन कोठा खरीददार की हैसियत से काबिज है।

पत्रावली पर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक 1710 दिनांक 07.06.1999 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की है:–

भागराम पुत्र नारायण जाति अरोड़ा के फौत होने के कारण उसके वारिस प्रभोदेवी बेवा भागराम व मिलखराज के नाम नामांतरकरण दर्ज हुआ तथा बाद में इन सभी ने अपनी समस्त भूमि जो वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 12,13,14 व 15 में कुल 11.09 बीघा बारानी रमेश सिंह पुत्र जम्मू सिंह को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 22 दर्ज हुआ।

खसरा नम्बर 10 में प्रासागिक रकबा वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 14 किला नम्बर 13/0.01, 18/0.13, 19/0.05, 22/0.05, 23/0.16 कुल 2.00 बीघा मुरब्बा नम्बर 15 किला 2/1/0.03, 3/1/0.09 कुल 0.12 बीघा कुल 2.12 बीघा रकबा है। वर्तमान में रमेश सिंह पुत्र जम्मू सिंह ग्राम कोयल खेड़ा तहसील फाजिल्का (पंजाब) में निवास करता है। वर्तमान में कोठा में निवास नहीं करता है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया हैं कि विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी भागराम पुत्र नारायणदास को सहायक जिलाधीश एवं दंडनायक के आदेश कमांक 152 दिनांक 28.11.1978 द्वारा शर्कज नहर कोठा का खसरा नम्बर 10 का 2.12 बीघा बारानी रकबा अलाट हुआ है। शिकायतकर्ता का यह कथन कि अप्रार्थी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

भागराम के पास आवंटन से पूर्व 31 बीघा भूमि थी जो सत्य नही है क्योंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1710 दिनांक 07.06.1999 से अवगत करवाया है कि अप्रार्थी भागराम पुत्र नारायण राम के नाम से मुरब्बा नम्बर 12,13,14 व 15 में कुल 11.09 बीघा भूमि थी। अप्रार्थी भागराम उक्त भूमि आवंटन करवाने का पात्र था क्योंकि उसके पास 25.00 बीघा से कम भूमि थी। इसलिए प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत निराधार होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी श्री ओमप्रकाश बतरा ने अपनी बहस में कथन किया अप्रार्थी द्वारा सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर से आदेश दिनांक 24.11.1978 द्वारा चक शर्कज नहर कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खसरा नम्बर 10 के 2 बीघा 12 बिस्वा बारानी रकबा अलाट करवाया गया है जबकि अप्रार्थी भागराम इस रकबा को अलाट करवाने का हकदार नहीं था क्योंकि अप्रार्थी तथ्यों को व अपनी जमीन को छुपाकर अदालत को धोखा देकर रकबा अलाट करवाया है। अप्रार्थी का उक्त विवादित रकबा पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त विवादित रकबा प्रार्थी जोगिन्द्र सिंह के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी के पास उक्त विवादित रकबा के आवंटन से पूर्व शर्कज नहर खंखा के खाता नम्बर 2 के 8 बीघा व शर्कज नहर कोठा के खसरा नम्बर 11 में 4 बीघा 9 बिस्वा व चक 5 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खसरा नम्बर 10 में 18 बीघा 7 बिस्वा नहरी रकबा अलाट शुदा है। इस प्रकार से उसके पास पहले से करीब 31 बीघा रकबा है । अतः 25 बीघा से अधिक रकबा होने से वह उक्त 2 बीघा 12 बिस्वा रकबा को किसी भी प्रकार से अलाट करवाने का हकदार नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा करवाये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः 1665 दिनांक 13.05.1994 के अनुसार उक्त विवादित रकबा सहायक जिलाधीश एवं दंडनायक के आदेश क्रमांक 152 दिनांक 28.11.1978 द्वारा शर्कज नहर कोठा का खसरा नम्बर 10 का 2.12 बीघा बारानी रकबा अलाट हुआ है। अप्रार्थी भागराम के पास आवंटन से पूर्व 31 बीघा भूमि थी जो सत्य नही है क्योंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1714 दिनांक 01.08.1984 एंव रिपोर्ट क्रमांक 1710 दिनांक 07.06.1999 से प्रमाणित है। अप्रार्थी भागराम पुत्र नारायण राम के नाम से मुरब्बा नम्बर 12,13,14 व 15 में कुल 11.09 बीघा भूमि थी। अप्रार्थी भागराम उक्त भूमि आवंटन करवाने का पात्र था क्योंकि उसके पास 25.00 बीघा से कम भूमि थी। इसलिए प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत निराधार होने के कारण खारिज की जाती है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्री गंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.)